



## जनपद हमीरपुर

थाना चिकासी

दिनांक 20.04.2026

मु0अ0सं0-35/26 धारा- 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में-

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.04.2026 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा लक्ष्मीराम लोधी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-35/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 1. इमरान उर्फ सिप्टेन पुत्र सज्जात नि0ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत उम्र करीब 27 वर्ष 2. रिहान पुत्र सफीक निवासी ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत उम्र करीब 18 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की बढ़ोत्तरी कर वांछित अभियुक्त 1.इमरान उर्फ सिप्टेन पुत्र सज्जात नि0ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत उम्र करीब 27 वर्ष 2.रिहान पुत्र सफीक निवासी ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत उम्र करीब 18 वर्ष को मंगरौठ मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

### पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 20.04.2026 को थाना चिकासी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-35/2026 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट तथा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित उपरोक्त वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त -

1. इमरान उर्फ सिप्टेन पुत्र सज्जात नि0ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत (उम्र करीब 27 वर्ष )।
2. रिहान पुत्र सफीक नि0ग्राम नूरपुर थाना अमरिया जनपद पीलीभीत (उम्र करीब 18 वर्ष)।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 भुलईराम यादव
- 2.हे0का0 दारा सिंह
- 3.म0का0 नेहा देवी

